

प्रेस-विज्ञप्तिथाना अहरौलादो राशि बछवा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वाछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के दिशा निर्देशन में आज दिनांक 16.02.2021 को चौकी प्रभारी माहुल शैलेश कुमार यादव मय हमराही हे 0का0 समेरिका यादव के साथ कस्बा माहुल में गस्त कर रहे थे कि जरिये मुखबिर खास ने आकर सूचना दिया कि साहब तीन व्यक्ति दो बछवा लेकर रसूलपुर अहमद अली गाँव से फूलपुर रोड की तरफ जा रहे हैं इस सूचना पर विश्वास कर उ 0नि0 मय हमराही के साथ पुनः चौकी पर आकर हे 0का0 भवानीशंकर शर्मा ,का0 ओमप्रकाश यादव व मुखबिर खास को साथ लेकर गाँव रसूलपुर अहमद अली डीह बाबा के स्थान पर रुककर पेड़ के आड़ में छिप गये कि कुछ समय बाद कुछ व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये कि मुखबिर खास उनकी तरफ इशारा करके वहाँ से हट गया। पुलिस टीम द्वारा उन्हें रुकने के लिए टार्च की रोशनी से इशारा किया गया तो वह व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे कि पुलिस टीम द्वारा एक व्यक्ति को दौड़कर करीब 200 मीटर जाते जाते पकड़ लिया गया व दो व्यक्ति रात्रि में अंधेरा का फायदा उठाकर भाग निकले। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम जाकिर हुसैन S/O आबिद रजा R/O मिंजवा Ps फूलपुर जिला आजमगढ़ बताया। पकड़े गये व्यक्ति से भागे गये व्यक्तियों का नाम पता पूछा गया तो (1) अमीन S/O भिरखू R/O मानपुर Ps फूलपुर आजमगढ़ (2) बाबूराम नोना S/O टिल्टू R/O टेऊवा Ps फूलपुर आजमगढ़ बताया। पकड़े गये व्यक्ति का यह कृत्य अन्तर्गत धारा 3/5क(6)5(ख)8(1) गोवध निवारण अधिनियम संशोधन 2020 का दण्डनीय अपराध से अवगत कराते हुए समय करीब 3.25 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण(संक्षेप में)- गिरफ्तार अभियुक्त जाकिर हुसैन पुत्र आबिद रजा से पूछताछ करने पर बताया कि साहब हम लोग क्षेत्र में बछवा व गाय छूटा एक जगह इक्कठा करके उसे पिक अप में लादकर बिहार ले जाकर बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 24/2021 धारा 3/5क(6)5(ख)8(1) गोवध निवारण अधिनियम संशोधन 2020 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

1- अभि0 जाकिर हुसैन पुत्र आबिद रजा सा0 मिंजवा थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी-

1- दो राशि बछवा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 शैलेश कुमार यादव (प्रभारी चौकी माहुल)
2. हे0का0 भवानीशंकर शर्मा
3. हे0का0 समेरिका यादव
4. का0 ओमप्रकाश यादव

थाना-निजामाबादअवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

दिनांक- 16.02.2021 को प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद शिवशंकर सिंह के कुशल नेतृत्व में व 0उ0नि0 श्री आकाश कुमार मय हमराहीयान के देखभाल क्षेत्र करता हुआ ग्राम डोडोपुर बाजार में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की एक व्यक्ति रानी की सराय की से निजामाबाद की तरफ अवैध तमंचा लेकर आ रहा कि मुखबिर खास पर विश्वास करके डोडोपुर बाजार में अवैध वाहन /चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति किया गया तो दौराने चेकिंग एक व्यक्ति रानी की सराय की तरफ से आता दिखाई

दिया कि पुलिस वालों द्वारा रोकने पर भागने का प्रयास किया जिसके फलस्वरूप पुलिस वालों द्वारा सिखलाये हुए तरीके से घेर कर पकड़ लिया गया तथा कड़ाई से नाम पता पूछा गया को अपना नाम मो 0 शमशेर पुत्र अबुल केश सा 0 कस्बा निजामाबाद थाना निजामाबाद आजमगढ़ बताया तथा उपरोक्त व्यक्ति की जामा तलाशी ली गयी तो एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। अवैध असलहा की बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु 0अ0सं0- 34/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर मा0न्यायालय चालान किया गया।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछने पर बता रहा है कि साहब असलहा अपने पास शौखियन रखता हूँ जिससे लोगों में भय बना रहता है।

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0- 34/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़ गिरफ्तार अभियुक्त- मो0 शमशेर पुत्र अबुल केश सा0 कस्बा निजामाबाद थाना निजामाबाद आजमगढ़

बरामदगी- एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नजायज

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. व0उ0नि0 श्री आकाश कुमार थाना निजामाबाद, आमजगढ़
2. हे0का0 अरबिन्द यादव थाना निजामाबाद, आमजगढ़
3. का0 प्रेमचन्द्र थाना निजामाबाद, आमजगढ़

थाना-रौनापार

01 वारंटी गिरफ्तार

दिनांक: 16.02.2021 को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी सगड़ी व थानाध्यक्ष रौनापार के कुशल नेतृत्व में थाना क्षेत्र रौनापार में थानाध्यक्ष द्वारा मय फोर्स दबिश जा रही थी। दौरान दबिश NBW ST NO.495/16 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0 10 आजमगढ़ धारा 272/273 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ में वारंटी अभियुक्त रामलाल पुत्र मुन्नर सा0 चालाकपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर चालाकपुर से समय लगभग 09.50 बजे गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0न0 495/16 धारा 272/273 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. रामलाल पुत्र मुन्नर सा0 चालाकपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष नवल किशोर सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 यासीन खाँ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का0 राजू सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
4. म0का0 काजल सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना देवगांव

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 15.02.2021 को प्र0नि0 सजंय कुमार सिंह मय हमराह देखभाल करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा जारी एनबीडब्लू के तामिला हेतु अभियुक्त सुनिल कुमार जयसवाल पुत्र सभाजीत जयसवाल नि0 कंजहित थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ के घर पर पहुंचे तो वारंटी सुनिल उपरोक्त घर पर मौजूद मिला। मा0 न्यायालय द्वारा जारी एनवीडब्लू को दिखाकर अभियुक्त को समय करीब 18.05 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।